भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3245

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

एमएसएमई को भुगतान में विलंब

3245. डॉ. शशि थरूर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्तमान में बकाया प्राप्तियों की अनुमानित राशि और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को नकदी प्रवाह पर इस प्रकार के विलंब के प्रभाव सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विलंबित भुगतान की समस्या की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल और अन्य विवाद समाधान मंचों जैसे मौजूदा तंत्रों के उपयोग और प्रभावकारिता की स्थिति क्या है;

(ग) निपटाए गए मामलों की संख्या और औसत समाधान समय सहित विलंब से भुगतान वाले विवादों के लिए हाल ही में शुरू किए गए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल का क्या उपयोग और परिणाम रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का एमएसएमई के लिए बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए और सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई की व्यवहार्यता और विकास के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक चिंता सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को किए गए विलंबित भुगतान है और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता के लिए चुनौती पेश करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 अध्याय V के खंड 15-23 के तहत एमएसई को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश देता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान के मामलों का निपटान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है।

फरवरी, 2026 के अंत तक समाधान पोर्टल पर सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट किए गए बकाया का मंत्रालय-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एमएसई द्वारा माल और सेवाओं के खरीदारों के विरुद्ध लंबित भुगतान संबंधी मामलों को दाखिल करने और उनकी निगरानी करने के लिए, सरकार ने दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल लॉन्च किया। इन दायर किए गए मामलों को तत्पश्चात एमएसई विक्रेता और खरीदार के बीच विवाद के समाधान के लिए लागू कानूनों के तहत बनाए गए प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित एमएसईएफसी को भेजा जाता है।

(ख) : एमएसएमई समाधान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा दायर किए गए आवेदन 2,56,892 हैं। इनमें से, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) द्वारा कुल 1,60,223 मामलों का निपटारा किया गया है। इस प्रकार, दायर आवेदनों में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत लगभग 62% है।

(ग) : लंबित भुगतान मामलों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए, सरकार ने दिनांक 27.06.2025 को मौजूदा समाधान पोर्टल को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल, प्रौद्योगिकी-सक्षम तंत्र के रूप में ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एमएसई से जुड़े विलंबित भुगतान विवादों के त्वरित, लागत प्रभावी और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है । एमएसई द्वारा एमएसएमई ओडीआर पोर्टल, जो दिनांक 15.10.2025 से प्रभावी है, पर विलंबित भुगतान से संबंधित सभी नए मामले दायर किए गए हैं। आज तक, इस पोर्टल पर कुल 14,814 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 26 मामलों का निपटान किया गया है।

(घ) : दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना एस.ओ. 4845 (अ) के द्वारा कार्यशील पूंजी संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने सीपीएसई और सभी कंपनियां, जो कि 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार करती हों, को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) पर ऑन-बोर्ड करने का निदेश दिया है, जो कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है।

ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी का अधिकतम उपयोग करने के लिए, बजट घोषणा 2026-27 में निम्नलिखित चार प्रमुख उपायों की घोषणा की गई है:

i. सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली सभी खरीद के लिए ट्रेड्स को निपटान मंच के रूप में अधिदेशित करना, अन्य कॉरपोरेट के लिए बेंचमार्क स्थापित करना।
ii. ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए सीजीटीएमएसई-समर्थित क्रेडिट गारंटी सहायता शुरू करना।
iii. सरकारी एमएसएमई खरीद पर वित्तपोषकों के साथ सूचना साझा करने में सुविधाजनक बनाने के लिए जेम को ट्रेड्स के साथ एकीकृत करना, ताकि तीव्र और किफायती ऋण की सुविधा प्रदान की जा सके।
iv. द्वितीयक बाजार का विस्तार करने, नकदी उपलब्धता में सुधार करने और मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए ट्रेड्स प्राप्यों को परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3245, जिसका उत्तर दिनांक 12.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

समाधान पोर्टल पर सीपीएसई द्वारा फरवरी, 2026 माह के अंत तक रिपोर्ट किए गए मंत्रालय-वार बकाया				
क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम**	**एमएसएमई को रिपोर्ट किया गया संचयी बकाया (करोड़ रुपए में)**	**रिपोर्ट की गई भुगतान राशि (करोड़ रुपए में)**	**रिपोर्ट किया गया कुल लंबित बकाया (करोड़ रुपए में)**
1	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	10,179.49	9,308.58	870.91
2	रक्षा मंत्रालय	5,300.82	5,251.81	49.01
3	विद्युत मंत्रालय	1,088.88	919.14	169.73
4	इस्पात मंत्रालय	1,072.37	865.14	207.23
5	भारी उद्योग मंत्रालय	1,001.9	952.25	49.65
6	कोयला मंत्रालय	702.33	306.1	396.23
7	संचार मंत्रालय	411.5	109.33	302.17
8	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	394.3	360.54	33.76
9	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	233.32	164.62	68.71
10	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	204.74	125.52	79.22
11	पोत परिवहन मंत्रालय	144.37	102.72	41.66
12	रेल मंत्रालय	86.09	83.04	3.05
13	पर्यटन मंत्रालय	84.22	20.72	63.5
14	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	66.99	40.66	26.33
15	खान मंत्रालय	39.31	38.65	0.66
16	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	30.09	26.25	3.84
17	वित्त मंत्रालय	28.55	23.78	4.77
18	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	20.47	11.2	9.27
19	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	16.02	2.34	13.68
20	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	11.47	11.35	0.13
21	वस्त्र मंत्रालय	9.87	2.14	7.73
22	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	3.86	3.82	0.05
23	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3.31	0	3.31
24	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	2.2	0.45	1.75
25	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	0.91	0.91	0
26	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	0.12	0.12	0
27	अंतरिक्ष मंत्रालय	0.11	0.11	0
28	नागर विमानन मंत्रालय	0.1	0	0.1
29	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	0.09	0.09	0
30	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	0.06	0.06	0
31	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	0.01	0	0.01
32	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	0.01	0.01	0
	कुल योग	**21,137.88**	**18,731.45**	**2,406.46**

*****